संख्या-360/2025/आई/1068438/23-1-25/010-23-1002(002)/124/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 26 अगस्त, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 29 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 29 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 36,74,69,000/- (रूपये छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	15777/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	08-08-2025
2	15807/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	21-08-2025
3	15809/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	21-08-2025
4	15816/CE-HQ1/RSN5054/ALI/2025-26	21-08-2025
5	15823/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2025-26	21-08-2025
6	15829/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	21-08-2025
7	15831/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	21-08-2025
8	15832/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	21-08-2025
9	15834/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	21-08-2025
10	15835/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	21-08-2025
11	15868/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	21-08-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	मल्हपुर से सरथौली मार्ग का नवनिर्माण।	74 /2024/आई/508602 /23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	134.53 133.63 111.23 0.11 133.52	93.46	40.06	29.90
2	नि.ख.-3 गोरखपुर	वार्ड सं0-1 महादेव झारखण्डी टुकडा टुकड़ा नं0 1 प्राइमरी पाठशाला के आगे से नहर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य	149 /2025/आई/914294 /23-1-25/001-23-1002(003)/83/2025 -दिनांक-23-03-2025	361.68 361.68 243.26 21.68 340.00	35.38	304.62	120.00
3	नि.ख.-3 गोरखपुर	रासीनगर वी0आई0पी0 मार्ग से चन्द्र विहार कॉलोनी में पूर्व निर्मित जर्जर सी0सी0 मार्ग के पुर्ननिर्माण एवं नाली निर्माण का कार्य।	149 /2025/आई/914294 /23-1-25/001-23-1002(003)/83/2025 -दिनांक-23-03-2025	330.25 330.25 174.34 99.98 230.27	32.24	198.03	100.00
4	नि.ख.-3 गोरखपुर	वार्ड नं0-14 में मोहल्ला द्वारिकापुरी कालोनी में जुडिया माल मोड़ से विभिन्न गलियों में होते हुए प्राथमिक पाठशाला बरगदवा तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	156 /2025/आई/917391 /23-1-25/003-23-1002(002)/253/2024-दिनांक-25-03-2025	1697.67 1697.67 892.31 494.12 1203.55	20.68	1182.87	300.00
5	प्रा.ख. देवरिया	पकड़ी बरावं मोहरा मार्ग (अजिमा) के चैनेज 0.000 से 10.330 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/876756 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025-दिनांक-10-02-2025	2300.11 2285.98 1187.18 513.02 1772.96	129.00	1643.96	375.00
6	प्रा.ख. अलीगढ़	अलीगढ़ रामघाट (कल्याण सिंह मार्ग)	160 /2025/आई/917552	10925.01 10894.45	756.42	10138.03	201.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		प्रमुख जिला मार्ग-105) के चैनेज 25.400 से 39.000 तक मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	/23-1-25/001-23-1002(002)/41/2025 -दिनांक-26-03-2025	9192.58 0.00 10894.45			
7	नि.ख.-2 प्रतापगढ़	कन्हैयानगर त्रिलोकपुर रामवनगमन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	164 /2025/आई/918927 /23-1-25/002-23-1002(002)/222/2024-दिनांक-26-03-2025	1622.10 1532.83 1190.56 4.79 1528.04	19.19	1508.85	324.42
8	नि.ख. सहारनपुर	दौलतपुर-नानौता-मंगलौर मार्ग (एस0एच0 167) से बीबीपुर दुगचाड़ा मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। (चैनेज 0.000 से 7.900 तक)	1041 /2023 /आई /434395/23-1-23/002-23-1002 (002)/215 /2023-दिनांक-24-11-2023	1196.29 1196.29 689.67 240.48 955.81	626.67	329.14	197.48
9	नि.ख. सहारनपुर	भायला से कुरडी होते हुए लबकरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 1.800 कि0मी0 से 6.100 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	112 /2024/आई/521282 /23-1-24/001-23-1002(002)/58/2023 -दिनांक-15-03-2024	432.29 432.29 304.57 26.48 405.81	365.47	40.34	30.38
10	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगनहर पटरी से बालू माजरा लौटनी निजानन्द आश्रम होते हुए देवबन्द जखवाला अम्बेहटा मोहन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) तक मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	125 /2025/आई/900584 /23-1-25/003-23-1002(002)/225/2024 -दिनांक-07-03-2025	1825.18 1825.18 685.79 258.16 1567.02	179.61	1387.41	90.00
11	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में बास्तम से दिवालहेड़ी	165 /2025/आई/918928	1677.92 1677.92 1043.89	82.21	1573.11	83.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		मिरगपुर दुधंली होते हुए राजूपुर तक (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के चैनेज 0.000 से 5.845 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	/23-1-25/002-23-1002(002)/208/2024 -दिनांक-26-03-2025	22.60 1655.32			
12	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में नानौता देवबन्द मंगलौर मार्ग से सर्विस रोड होते हुए मुश्कीपुर मार्ग के चैनेज 0.000 से 3.550 तक (अ0जि0मा0) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	165 /2025/आई/918928 /23-1-25/002-23-1002(002)/208/2024 -दिनांक-26-03-2025	760.52 760.52 272.70 1.40 759.12	37.60	721.52	50.00
13	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में जनपद सहारनपुर में सहारनपुर नागल लाखनौर सिडकी झबरेडा मार्ग के चैनेज 17.100 से 30.100 तक पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य	173/2025/आई/920433/23-1-25/001-23-1002(002)/60/2025 -दिनांक-27-03-2025	2570.27 2570.27 1768.39 304.59 2265.68	1.88	2263.80	135.00
14	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	सिहाली से हंसवाला तक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	320 /2024/150-आरएसएन/23-1-2024/001-05(बी)/आरएसएन-एसएएच/2024-दिनांक-21-08-2024	111.93 111.93 66.53 18.49 93.44	78.35	15.09	5.36
15	प्रा.ख. शामली	कैराना तितरवाड़ा इस्सोपुरटील मार्ग पर सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1064 /2023/आई/451731 /23-1-23/003-23-1002(002)/215/2023 -दिनांक-19-12-2023	622.08 622.08 331.26 129.58 492.50	414.55	77.95	77.95
16	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ब्लाक मदनापुर उमरसड़ से मटेहना सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/आई/508602 /23-1-24/001-23-	146.46 145.15 117.39	104.27	37.11	37.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	3.77 141.38			
17	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ब्लाक कलान में ग्राम हरनौखा से चैकिया सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/आई/508602 /23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	163.53 160.08 113.66 19.70 140.38	85.40	54.98	40.70
18	प्रा.ख. वाराणसी	वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर उमरहां से सुरतापुर नई बाजार महाबीर होते हुए वाराणसी आजमगढ़ मार्ग को क्रास करते हुए भोजूबीर सिन्धौरा मार्ग पर अटेसुवा तक सड़क का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	295/2023/938रास नि/23-1-23/002-06आरएसएन/2023-दिनांक-31-03-2023	4385.00 4385.00 1344.19 215.61 4169.39	2251.87	1917.52	437.78
19	प्रा.ख. अयोध्या	बीकापुर जाना मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	136 /2024/आई/521955 /23-1-24/001-23-9002(001)/27/2023 -दिनांक-15-03-2024	4311.88 4311.88 3424.51 11.24 4300.64	4247.34	53.30	53.30
20	नि.ख.-1 खीरी	रोडी पुरवा (टोडीपुरवा) से देवीपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	74 /2024/आई/508602 /23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	213.26 213.26 149.81 20.67 192.59	153.45	39.14	21.50
21	नि.ख.-1 खीरी	लोनियन पुरवा से धरमुनिया पुर होते हुए सरजूनगर सम्पर्क मार्ग के मध्य छूटी कड़ी का निर्माण कार्य।	74 /2024/आई/508602 /23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	213.28 213.28 142.75 44.84 168.44	153.16	15.28	15.00
22	नि.ख.-2 हरदोई	ग्राम नयागॉव से ग्राम भिम्मापुरवा के मध्य मार्ग के निर्माण का कार्य।	80 /2025/आई/871203 /23-1-25/001-23-1002(002)/20/2025 -दिनांक-05-02-2025	83.74 76.69 54.21 14.86 61.83	17.22	44.61	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
23	नि.ख.-2 हरदोई	गंजमुरादाबाद सरायं सुल्तान दारूकुईया नयागॉव मार्ग के चैनेज 0.000 से 12.340 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	113 /2025/आई/ 891761/23-1-25/001-23-1002(002) /28/2025-पार्ट-1 दिनांक-25-02-2025	2480.33 2480.33 1897.99 3.42 2476.91	277.70	2199.21	400.00
24	प्रा.ख. रायबरेली	रायबरेली प्रा0ख0 कठवारा से नवोदय विद्यालय से सरगही मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	669 /2024/आई/821930 /23-1-24/001-23-1002(002)/211/2024 -दिनांक-13-12-2024	1876.98 1876.98 616.86 179.30 1697.68	373.83	1323.85	100.00
25	प्रा.ख. हमीरपुर	सुमेरपुर देवगांव पत्योरा मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	119/2021/268 रासनि/23-1-21-98 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	3076.29 2963.97 2409.29 6.40 2957.57	2898.50	59.07	59.07
26	प्रा.ख. महोबा	कबरई कुन्हेटा मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	59 /2024/503480/23-1-24/001-23-1002 (002)/34 /2024 - दिनांक-23-02-2024	2285.89 2285.89 1219.40 579.72 1706.17	1332.56	373.61	40.00
27	प्रा.ख. बांदा	जनपद बांदा में इलाहाबाद बैंक से जिलाधिकारी आवास के सामने होते हुए रोडवेज तक (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	753 /2024/आई/836036 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/233/2024 -दिनांक-28-12-2024	339.05 339.05 190.16 17.66 321.39	111.55	209.84	116.26
28	प्रा.ख. बागपत	बागपत मुरादनगर मार्ग (अ0जि0मा0) किमी 15.000 से 22.825 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	58/2024/आई/503429/23-1-24/001-23-1002(002)/260/2023-दिनांक-23-02-2024	2386.85 2306.39 1422.62 453.85 1852.54	1574.65	277.89	157.02
29	प्रा.ख. गौतमबुद्धनगर	दादरी जारचा मार्ग से वीरपुरा खण्डेरा कोट का पुल व अजायपुर फाटक मार्ग (अ0जि0मा0) पर चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1038 /2023 /आई /433964 /23-1-23/002-23-1002(002)/187 /2023 -दिनांक-24-11-2023	2302.74 2302.74 1445.74 590.00 1712.74	1651.29	61.45	61.45
						कुल योग-	**3674.69**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 36,74,69,000/- (रूपये छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-360/2025/आई/1068438(1)/23-1-25/010-23-1002(002)/124/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in